

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :-

संयिका संख्या-6/अ0-03-06/2020

पटना, दिनांक:-

श्री रवि रंजन आलोक, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 11.02.2026 से 24.02.2026 तक 14 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री आलोक के अवकाश लेखा में (300-14=286) दो सौ छियासी दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-06/2020 1061 पटना, दिनांक:- 26/3/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमंडल, गयाजी/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0 आर0 एम0 एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रवि रंजन आलोक, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।
25.03.2025